

आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल- 1, कलकत्ता

बनाम

संयुक्त प्रांत विद्युत आपूर्ति कंपनी

17 अप्रैल 2020

(डी. पी. वाधवा और एम. बी. शाह, जे.जे.)

आयकर अधिनियम, 1961- धारा 41(2)- व्यावसायिक लाभ- करयोग्यता- आय को संचय- संतुलन प्रभार व्यवसाय को अनिवार्य अधिग्रहण प्राप्त- मुआवजों देय राशि या कीमत के संबंध में मुकदमे को लंबित होना, क्या अर्जित आय के संबंध में उपयुक्त है, चाहे अर्जित आय की करदेयता के संबंध में प्रासंगिक किसी अतिरिक्त आय पर बाढ़ के चरण में कर लगाया नहीं जा सकता है।

प्रतिवादी- निर्धारिती, उपभोक्ताओं को बिजली उत्पादन और आपूर्ति को व्यवसाय कर रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारिती के उपक्रम खरीदे। दोनों उपक्रमों (Undertaking) को कब्जा बिजली बोर्ड को सौंप दिया गया एवं और बोर्ड ने अंतिम मुआवजे के रूप में निर्धारिती को कुल 3, 35, 84, 552 रुपये दिये। निर्धारिती ने देय राशि को अपने मुआवजे को अधिकार सुरक्षित रखते हुये स्वीकार किया और फिर विद्युत अधिनियम के तहत देय मुआवजे को निर्धारण करने के लिए मध्यस्थता के पास गया। आयकर अधिकारी ने कुल राशि रुपये 3, 35, 84, 552 निर्धारिती की मूल्यहास योग्य संपत्तियों की बिक्री आय के रूप में मानते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41(2) के तहत निर्धारिती में कुल रुपये 1, 29, 35, 337 को लाभ निर्धारित किया और इसे निर्धारिती की आय में जोड़ा। अपील में, निर्धारिती ने तर्क दिया कि धारा 41(2) के तहत किसी भी लाभ पर

विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष में कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रतिकर के लिए निर्धारिती की मांग तय नहीं की गयी थी और वह विवाद अभी भी मध्यस्थों के समक्ष लंबित था। ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती के मामले को स्वीकार करते हुए माना कि निर्धारिती को देय प्रतिकर को न ही तय कर फैसला किया गया और न ही अंतिम रूप में दिया गया था, इसलिये आई.टी.ओ. द्वारा विचाराधीन वर्ष में धारा 41(2) के तहत निर्धारिती की आय में वृद्धि करना उचित नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध निर्णय देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 41(2) तब तक लागू नहीं होती है और न ही हो सकती है जब तक कि कीमत को अंतिम रूप से पता नहीं चल जाता है और इस मामले में कीमत के रूप में निर्धारिती के उपक्रमों को अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया था और केवल एक तदर्थ भुगतान किया गया था जिसे विरोध के तहत स्वीकार कर लिया गया था, इसलिये राजस्व को हस्तक्षेप कर अधिनियम की धारा 41(2) के तहत निर्धारिती को मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए यह अपील दायर की गयी। इस न्यायालय के समक्ष केवल यह सीमित प्रश्न है कि क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 41(2) के प्रावधान निर्धारिती को देय प्रतिकर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पर लागू होते हैं।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह प्रतिवादित किया है कि:-

1.1 कानून के तहत संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 41(2) के तहत शेष शुल्क कर योग्य है। पिछले वर्ष के व्यवसाय की आय के रूप में आयकर जिसमें धन देय हो गया हो के रूप में कर योग्य है। प्राधिकारी द्वारा मुआवजे को निर्धारण और उसके भुगतान को मतलब निश्चित रूप से यह होगा कि देय धनराशि देय हो गई है। सम्पत्ति अधिग्रहण मामले में देय प्रतिकर की प्राप्ति उसके देय

होने के बाद की प्रक्रिया है। वर्तमान मामले में, आय अर्जित हुई है और वास्तव में हुई है। संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त राशि मुआवजा राशि है एवं आयकर की गणना हेतु व्यवसाय के पिछले वर्ष की आय के रूप में मानी जावेगी। बाजार मूल्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि यदि कोई अंतर या विवाद नहीं है, तो जो भी राशि निर्धारित और भुगतान की जाएगी वह अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा होगा। मुआवजे की राशि के निर्धारण को मतलब होगा "देय राशि जो बकाया हुयी"। हालांकि बाजार मूल्य के विवाद या मतभेद के मामलों के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन इसको मतलब यह नहीं होगी कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और भुगतान की गई कोई भी राशि देय मुआवजा राशि नहीं रह जाएगी। जहां तक प्राप्त मुआवजे की राशि की करयोग्यता को संबंध है, देय अतिरिक्त धनराशि के लिए कार्यवाही को लंबित रहना प्रासंगिक नहीं होगा। यदि अगले वर्ष अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो यह उस वर्ष की व्यावसायिक आय होगी। वर्तमान मामले में यह मानते हुए कि निर्धारिती के पास किये गये भुगतान से अधिक राशि प्राप्त करने को अधिकार है, फिर भी कर के प्रयोजन के लिए दिये जाने वाली राशि बकाया हुयी एवं जो भुगतान के लिये प्रदत्त एवं प्राप्त की गयी यदि उसे कोई अतिरिक्त राशि मिलती है तो वह बाद में प्रावधानों के अनुसार लाभ के रूप में कर योग्य होगी। यह व्याख्या अधिनियम की धारा 41 उपधारा (1) और (4) के अनुरूप होगी।

1.2 एक बार जब मुआवजा प्राधिकरण द्वारा मुआवजा निर्धारित किया जाता है और विरोध के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है, और विवाद मुआवजे की वृद्धि के लिए मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, तो इसको मतलब यह नहीं है कि वह करदाता को भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि नहीं रह जाएगी। निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि, भवन, संयंत्र के अधिग्रहण के संबंध मुआवजे को दर्शाती है।

1.3 कर के प्रयोजन के लिए, किसी परिसंपत्ति के लिखित मूल्य और उसकी बिक्री से प्राप्त कीमत के बीच को अंतर हालांकि निर्धारिती के व्यवसाय के संचालन मे कोई लाभ नही कमाया गया है फिर भी जिस वर्ष मे परिसंपत्ति की बिक्री हुई उस वर्ष मे उसे लाभ के रूप मे माना जाता है। एक बार इसे व्यवसाय लाभ मान लिया जाए, तो इसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप मे मानने और तदनुसार कर लगाने को कोई सवाल ही नही है। इसके अलावा, एक बार जब यह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यावसायिक लाभ है, तो इसके संचय पर कर लगाया जाना चाहिए और यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद के चरण मे अतिरिक्त राशि की प्राप्ति पर कर लगाने को कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम की उप- धारा (1) और (4) मे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उस राशि की प्राप्ति पर कर जिस वर्ष मे राशि प्राप्त हुयी है के रूप मे एवं ऐसी वसूली एक या उसके बाद के वर्षो मे हो सकती है।

1.4 जहां तक अर्जित आय पर कर देयता को सवाल है, देय राशि के संबंध मे मुकदमे के लंबित होने की कोई प्रासंगिकता नही है। मुकदमेबाजी के परिणाम स्वरूप अगले मूल्यांकन वर्ष मे आय कम होने की संभावना अधिनियम मे दिये गये कर के सुधार और वापसी के उपचारों को सहारा उपलब्ध है, लेकिन उस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती को कोई आय अर्जित नही हुई।

1.5 वर्तमान मामले मे, मुआवजे की राशि निर्धारित की गई थी और भुगतान किया गया। चूंकि विवाद बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध मे है, इसलिए मामले को मध्यस्थ के पास भेजा गया है। यह मानते हुए कि यह इस अर्थ मे तदर्थ भुगतान है कि अंतिम मुआवजा मध्यस्थ या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी भुगतान खरीद मूल्य के संबंध मे है। धारा 41(2) मे कही भी यह प्रावधान

नहीं है कि ऐसा Balancing charge कर योग्य होगा जिसमें देय धन मध्यस्थों या अपीलीय प्राधिकारी या अधिग्रहण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, यह निर्धारिती को मामला नहीं है कि खरीद मूल्य के अंतिम निर्धारण तक उसने उक्त राशि स्वीकार नहीं की हो, जहां तक प्राप्त आय- मुआवजे की प्राप्ति की करयोग्यता का संबंध है, देय धन के संबंध में अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए मुकदमे के लंबित होने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां मुआवजे की राशि और उसकी रसीद को स्वीकार किया जाता है, जो कि धारा 41(2) के तहत व्यवसायिक लाभ है, इसकी प्राप्ति के पिछले वर्ष में कर लगाया जाना चाहिए।

सी.आई.टी बम. बनाम विपिनचंद्र मगनलाल एंड कंपनी लिमिटेड, 1961 41 आई.टी.आर 291 एससी अकेला इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी प्रा.एल.डी बनाम सी.आई.टी.बम. (1978) 113 आई.टी.आर 265 और ओकोरा इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी प्रा.एल.डी बनाम सी.आई.आई (1985) 154 आई.टी.आर 493 (distinguished)

सी.आई.टी बनाम सेंटल इंडियन इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड, (1993) 114 सी टी आर एम.पी 160 स्वीकृत।

पी.सी गुलाटी, स्वैच्छिक परिसमापक, पानीपत इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी बनाम सी आई टी, (1972) 86, आई टी आर 501 सी आई टी, दिल्ली बनाम रोहेतुक टेक्सटाईल मिल्स उद, (1982) 138 आईटीआर 195 (दिल्ली) सी आई टी, बनाम रोषप्पा हेगडे (1984) 150 आईटीआर 164 और सी.आई गुजरात बनाम एनेक्स मैन्यफैक्चरिंग कंपनी, (1997) 6 एससीसी 437, संदर्भित।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6325/1995

कलकता उच्च न्यायालय के आई.टी.आर. संख्या 365/19775 में निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.86 से।

के.एन.शुक्ला, जोसेफ वेल्लापल्ली, एसएन/टेरडोल, बी.एस.आहूजा, सुश्री नीरा गुप्ता, डी.एन मिश्रा, सुश्री सुषमा सुरी, अरविंद कुमार शमा, तरूण गुलाटी और सुश्री मीरा माथुर उपस्थित पक्षकारों के लिए।

उच्च न्यायालय को निर्णय जे. शाह द्वारा सुनाया गया था। राजस्व की तरफ से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दो प्रश्न उच्च न्यायालय को भेजे गए थे। जिसे आगे अधिनियम के रूप में पढा जायेगा। पहला प्रश्न जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति दी गई थी वह इस प्रकार है:-

क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के प्रावधानों की उचित व्याख्या के आधार पर माना जाना सही था कि प्राधिकरण द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41(2) के अन्तर्गत आंकलन वर्ष राशि 1, 29, 35, 557 जोडा जाना उचित नहीं था?

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्न को उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध यह कहते हुए दिया की अधिनियम की धारा तब तक लागू नहीं होती है और न ही हो सकती है जब तक कि अंतिम रूप में राशि निर्धारित नहीं की गयी है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में निर्धारिती के उपक्रमों की कीमत अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई थी और केवल एक तदर्थ भुगतान किया गया था जिसे विरोध के तहत स्वीकार कर प्राप्त किया गया था, इसलिए राजस्व के लिए हस्तक्षेप करना और धारा 41(2) के तहत निर्धारिती को मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ना सही नहीं था।

उपरोक्त प्रश्न निर्धारण वर्ष 1965- 66 के लिए उठता है, अर्थात् 31.03.1965

को समाप्त होने वाला प्रासंगिक लेखा वर्ष माना जाता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी- निर्धारिती को व्यवसाय उपभोक्ताओं को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति को था। निर्धारिती के पास दो उपक्रम थे, एक इलाहाबाद में और दूसरा लखनऊ में। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 के तहत शक्ति को प्रयोग करके यूपी राज्य सरकार द्वारा उक्त उपक्रमों को यूपी राज्य विद्युत बोर्ड के लिये खरीद कर कब्जा 17.09.1964 को सौंप दिया गया। बोर्ड ने रुपये 62,60,668 और रुपये 41,35,398 उक्त उपक्रमों की अनिवार्य खरीद के लिए मुआवजे के रूप में निर्धारिती को दी। इन भुगतानों के अलावा, बोर्ड ने ऋण के लिए निर्धारिती की देनदारियों के संबंध में कुछ समायोजन भी किए और निर्धारिती को अंतिम मुआवजा रु. 3,35,54,552 भुगतान किया गया। निर्धारिती ने विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 7(ए) के तहत देय मुआवजे को दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त राशि स्वीकार कर ली। इसके बाद, निर्धारिती द्वारा उक्त अधिनियम के तहत देय मुआवजे के निर्धारण के लिए मध्यस्थता के पास गया। चूंकि मध्यस्था कोई निर्णय देने में विफल रहे, इसलिए उन्होंने मामले को रेफर कर दिया अंपायर के निर्णय के लिए। यह आरोप लगाया गया है कि विद्युत बोर्ड ने लखनऊ में सिविल कोर्ट को रूख किया और अंपायर के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने को आदेश प्राप्त किया।

आयकर अधिकारी ने उक्त रुपये को निर्धारिती की मूल्यहास योग्य संपत्तियों की बिक्री आय के रूप में 3,35,84,552 रुपये और उसके आदेश में दिए गए विवरण के अनुसार उन संपत्तियों के लिखित मूल्य की गणना रुपये 2,06,48,985 कर अधिनियम की धारा 41(2) के तहत 1,29,35,557 लाभ निर्धारित किया और इसे निर्धारिती की आय में जोड़ा गया। अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील में, यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष में धारा 41(2) के तहत किसी भी लाभ पर कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि मुआवजे के लिए निर्धारिती को दावा उक्त वर्ष के दौरान

तय नही किया गया था और वह विवाद अभी भी मध्यस्थों के समक्ष लंबित था। अपीलीय सहायक कमिश्नर ने उक्त दलील को खारिज कर दिया। प्राधिकरण के समक्ष दौराने अपील प्राधिकरण ने कहा कि चूंकि निर्धारिती को देय मुआवजा तय नही किया गया था और अंतिम रूप नही दिया गया था, इसलिए विचाराधीन वर्ष मे धारा 41(2) के तहत निर्धारिती की आय मे आई.टी.ओ द्वारा वृद्धि करना उचित नही था।

माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती की संपत्ति अर्थात्, अधिनियम की धारा 41(2) सपठित धारा 32(1) के अर्थ के अंतर्गत दो उपक्रम बेचे गए थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि धारा 41(2) उस हद तक लागू है परन्तु उसके तहत मूल्यांकन केवल उस कीमत के बाद किया जा सकता है सम्पत्ति की बेचा राशि निर्धारित की जावे। चूंकि कीमत अंतिम रूप से निर्धारित नही की गई है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती को उसके दो उपक्रमों के संबंध मे जो राशि प्राप्त हुई है वह कीमत है जिस पर उसे बेचा गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 41(2) मे यह परिकल्पना नही की गई है कि एक निर्धारिती को राशि प्राप्त होने पर टुकडे टुकडे मे मूल्यांकन किया जाएगा। इसीलिए प्रश्न को उत्तर निर्धारिती के पक्ष मे दिया गया जैस कि ऊपर बताया गया है। अपील की सुनवाई के समय, श्री के एन शुक्ला जो राजस्व की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि मुआवजे की राशि राज्य द्वारा निर्धारित कर निर्धारिती को भुगतान की जा चुकी है। इसलिए अधिनियम की धारा 41(2) के तहत यह निर्धारण योग्य और कर योग्य आय होगी जैसा कि इसमे प्रावधान किया गया है। उनको तर्क था की केवल इसीलिए की निर्धारिती ने मुआवजा प्रवर्तन के लिए एक आवेदन दायर किया है इसको मलतब यह नही होगा कि निर्धारिती को मुआवजा नही मिला है। उनके प्रस्तुतीकरण के अनुसार, यह प्रासंगिक लेखा वर्ष के दौरान निर्धारिती की आय होगी और इसलिए, आई टी ओ द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार था। इसके विपरीत,

निर्धारिती की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोसेफ वेल्लापल्ली ने अभिकथन किया कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि मुआवजे के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं है। यह केवल राज्य सरकार द्वारा किया गया तदर्थ भुगतान है। उस राशि को अधिनियम की धारा 41(2) के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को पेश किया।

अपने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवाद पर निर्णय लेने के लिए हम पहले धारा 41(2) को उल्लेख करेंगे, जो प्रासंगिक समय पर लागू थी। जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है-

41. कर योग्य लाभ।

(1).....

(2) जहां को कोई भवन मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर जो निर्धारिती के स्वामित्व में है जिसको उपयोग व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिये किया गया था या किया गया है, बेचा जाता है, त्याग किया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, या नष्ट कर दिया जाता है और एसी इमारत के संबंध में देय राशि, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर जैसा भी मामला हो, स्क्रैप मूल्य की मात्रा के साथ यदि कोई हो लिखित मूल्य से अधिक हो, इतना अधिक कि वास्तविक लागत और लिखित मूल्य के बीच में अंतर से अधिक न हो, पिछले वर्ष के व्यवसाय या पेशे की आय के रूप में आयकर वसूलनीय होगा, जिसमें भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के लिये राशि बकाया हो।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति "देय राशि" और अभिव्यक्ति "बेची गई" को वही अर्थ होगा जो धारा 32 की उपधारा (1A) में है।

धारा 32(1A) को स्पष्टीकरण है- "स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों के लिए-

(I) किसी संरचना या कार्य के संबंध में "देय धन" शामिल

(A) उसके संबंध में देय कोई बीमा या मुआवजा राशि

(B) जहां संरचना या कार्य बेचा जाता है, वह कीमत जिसके लिए यह है बेचा जाता है, और

(II) "बेचा गया" को वही अर्थ होगा जो उपधारा (1) के खंड (III) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

धारा 32 की उपधारा (1)के खंड (III) को स्पष्टीकरण (2) "बेचा" अभिव्यक्ति को निम्नलिखित अर्थ देता है-

"बेचा गया" में विनिमय या अनिवार्य रूप से स्थानांतरण शामिल है, फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत अधिग्रहण, लेकिन नहीं समामेलन की एक योजना में, समामेलित कंपनी द्वारा किसी भी परिसंपत्ति को उस समामेलित कंपनी में स्थानांतरण शामिल है, जहां समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है।

धारा 41 "व्यवसायिक आय की गणना" शीर्षक के अंतर्गत है। प्रवधान के अन्तर्गत यह सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि इसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार उत्पन्न होने वाली आय को व्यवसाय या पेशे की आय के रूप में माना जाएगा और व्यवसाय या पेशे की आय के रूप में आयकर लगाया जाएगा। एक बार जब इसे व्यवसाय आय माना जाता है, जब तक अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, यह पिछले वर्ष में कर योग्य होगा जिसमें इसे प्राप्त किया गया है। धारा 41(2) संतुलन शुल्क की गणना करने की विधि प्रदान करती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि जहां

कोई भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेचा जाता है और ऐसी इमारत, मशीनरी के संबंध में देय धनराशि वास्तविक लागत और लिखित मूल्य के बीच के अंतर से अधिक नहीं है, तो एसा लिखित मूल्य पिछले वर्ष के व्यवसाय की आय के रूप में आयकर के दायरे में आयेगा, जिस पिछले वर्ष में "देय राशि" "बकाया" हो गया। "देय राशि" वाक्यांश की व्याख्या कोफ़ी व्यापक है और इसमें "उसके संबंध में देय कोई मुआवजा राशि" भी शामिल है। इसी प्रकार, "बेची गई" के अन्तर्गत उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है। इसलिए किसी भी कानून के तहत संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में धारा 41(2) के तहत संतुलन शुल्क पिछले वर्ष के व्यवसाय की आय के रूप में आयकर के लिए कर योग्य है जिसमें देय राशि बकाया हुयी हो। प्रश्न यह होगा कि देय राशि कब बकाया होगी। प्राधिकारी द्वारा मुआवजे को निर्धारण और उसके भुगतान को मतलब निश्चित रूप से यह होगा कि देय धनराशि बकाया हो गई है। अधिग्रहण के संबंध में देय मुआवजे की प्राप्ति उसके देय होने के बाद को चरण है। वर्तमान मामले में, आय अर्जित हुई है और वास्तव में प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजा राशि है और पिछले वर्ष के व्यवसाय की आय के रूप में आयकर के प्रयोजन के लिए इसको हिसाब लगाया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के लिए यदि कोई अंतर या विवाद नहीं है, तो जो भी राशि निर्धारित और भुगतान की जाएगी वह अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा होगा। मुआवजे की राशि के निर्धारण को मतलब होगा कि "देय राशि" "बकाया" हो गयी हो। हालाँकि बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विवाद होने पर मामले को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 7 ए के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसको मतलब यह नहीं होगा कि जो भी राशि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और भुगतान की जाती है वह मुआवजा नहीं माना जायेगा। जहां तक प्राप्त मुआवजे की राशि की कर योग्यता को संबंध है, देय अतिरिक्त धनराशि के लिए

कार्यवाही को लंबित रहना प्रासंगिक नहीं होगा। यदि अगले वर्ष अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो यह उस वर्ष की व्यावसायिक आय होगी। वर्तमान मामले में यह मानते हुए कि निर्धारिती अधिग्रहण प्राधिकारी द्वारा भुगतान की गई राशि से अतिरिक्त राशि पाने को हकदार है फिर भी कर के प्रयोजन के लिए देय राशि बकाया हो गयी है और भुगतान किया गया और प्राप्त किया गया। यदि उसे कोई अतिरिक्त राशि मिलती है जो बाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ के रूप में कर योग्य होगी। यह व्याख्या धारा 41 की उपधारा (1) और (4) के अनुरूप होगी। उपधारा (1) निर्धारिती द्वारा किए गए नुकसान, व्यय या व्यापारिक दायित्व के संबंध में किए गये हैं, और बाद में निर्धारिती ने इस तरह के नुकसान, व्यय या ऐसे व्यापार में दायित्व के संबंध में कुछ लाभ के संबंध में छूट या समाप्ति के माध्यम से कोई राशि प्राप्त की है, तो उक्त प्राप्त राशि या उसे मिलने वाले लाभ के मूल्य को व्यवसाय या पेशे को लाभ माना जाता है। ऐसी राशि की तदानुसार उस पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर लगाया जाता है। ऐसी राशि पर प्राप्ति उसी वर्ष हो भी सकती है और नहीं भी। यह आगामी एक से अधिक वर्ष के दौरान हो सकता है। ऐसे मामले में यह पिछले वर्ष में कर योग्य होगा जिसमें यह प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार उपधारा (4) खराब ऋण या ऋण के हिस्से के संबंध में कटौती की अनुमति प्रदान करती है और यदि ऐसे खराब ऋण या उसके हिस्से की रकम बाद में वसूल की जाती है तो उस पर लाभ के रूप में कर लगाया जाना चाहिये जैसा कि उसमें प्रावधान है, ऋण की यह वसूली उसी वर्ष में नहीं हो सकती है। इसे व्यावसायिक लाभ माना जाएगा, ऐसी प्राप्ति पर उस वर्ष की आय के रूप में कर लगाया जाएगा जिसमें यह प्राप्त हुयी है। ऐसी स्थिति में टुकड़े- टुकड़े मूल्यांकन को कोई सवाल नहीं है क्योंकि व्यापारिक हानि, खराब ऋण या मुआवजे के कारण राशि प्राप्त होने पर कर लगाया जाना चाहिये।

निर्धारिती की और से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब तक मुआवजे की राशि अंतिम रूप से सुनिश्चित और निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि को तदर्थ राशि के रूप में माना जाएगा और सुनिश्चित की गई अंतिम राशि की प्राप्ति के बाद यह व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1922 अधिनियम की धारा 10 (2)(VII) की भाषा में उल्लेखनीय भिन्नता है। पिछले अधिनियम में बिक्री के वर्ष में संतुलन शुल्क वसूला जाना था। हालांकि 1961 अधिनियम के तहत शेष शुल्क केवल बिक्री मूल्य के अंतिम निर्धारण के वर्ष में कर योग्य है। इस तर्क के संबंध में आयकर विधेयक 1961 के उपवाक्य पर टिप्पणियों को आधार बताकर नए प्रावधान में भौतिक परिवर्तन होना जाहिर किया है। उक्त धारा 41(2) के उपवाक्य में दी गयी टिप्पणियां इस प्रकार हैं-

"यह मौजूदा धारा 10 (2)(VII) के दूसरे और चौथे प्रावधान में निहित प्रावधानों से मेल खाता है। यहां किए गए परिवर्तन मौखिक हैं और यह स्पष्टता प्रदत्त करते हैं कि देय राशि उस वर्ष बकाया नहीं मानी जावेगी जब बेचा या खण्डन हुआ हो बल्कि लाभ को मूल्यांकन पिछले वर्ष की अवधि में माना जावेगा तब वह राशि निर्धारित की गयी। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि इस उपधारा के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब व्यवसाय या पेशा उस वर्ष अस्तित्व में न हो, जिसमें रकम को मूल्यांकन किया जाना है।"

उपरोक्त विवेचन किसी भी तरह से प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए विवेचन से मेल नहीं खाता है। यह विशेष रूप से कहा गया है कि किए गए परिवर्तन मौखिक हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि बिक्री के लिए देय राशि उस वर्ष में निर्धारित नहीं की जाती है जिसमें बिक्री हुई थी, तो लाभ पिछले वर्ष के मूल्यांकन वर्ष में मूल्यांकन योग्य होगा जिसमें वह राशि निर्धारित की जाती है। यह

धारा कहीं भी मुआवजे के अंतिम निर्धारण की बात नहीं करता है और इसको मतलब यह नहीं होगा कि चूंकि निर्धारिती को मुआवजे की वृद्धि के लिए मध्यस्थ को स्थानांतरित करने को अधिकार है, इसलिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को वृद्धि की कार्यवाही तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा। स्पष्टीकरण के अनुसार देय धनराशि में उसके संबंध में देय कोई भी मुआवजा राशि शामिल है। इसलिए जब देय मुआवजा राशि निर्धारित या तय की जाती है, भले ही वह प्राप्त न हुई हो तो भी यह देय राशि होगी। जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, स्पष्टीकरण के तहत अभिव्यक्ति "देय राशि" को उसके संबंध में देय मुआवजे की राशि को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। जैसा कि ऊपर विवेचना किया गया है, एक बार मुआवजा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है और विरोध के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है और विवाद को इसकी वृद्धि के लिए मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, तो इस को मतलब यह नहीं है कि यह निर्धारिती को भुगतान की गई मुआवजा राशि नहीं रह जाएगी। निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि भवन, संयंत्र मशीनरी या फर्नीचर के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजे को प्रतिनिधित्व करती है। निर्धारिती के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जैसा कि सीआइटीए बॉम्बे बनाम बिपिनचंद्र मगनलाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (1961) 41 आईटीआर 291 में इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि पूंजीगत प्राप्तियों पर "व्यापार या पेशे से लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत कर लगाया जाता है, रसीदें व्यावसायिक लाभ नहीं बन जातीं। इसलिए यह माना गया कि लाभ की कोल्पनिक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति की प्रकृति में है और चूंकि अतिरिक्त राशि की प्राप्ति के बाद उस पर फिर से कर लगाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान या प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि राशि तभी कर योग्य हो जाती है जब आखिरकार मुआवजा तय हो गया है, उक्त मामले में न्यायालय ने आयकर अधिनियम 1922 की धारा 10 (2)(VII) के समान प्रावधान पर विचार

क्रिया और पाया कि ऐसी आय को उस वर्ष में लाभ के रूप में माना जाता है जिसमें संपत्ति बेची जाती है। उक्त विवेचन को प्रासंगिक भाग इस प्रकार है- "वास्तव में पूंजीगत रिटर्न को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय के रूप में माना जाता है। क्योंकि प्राप्त मूल्य और लिखित मूल्य के बीच यह अंतर आयकर के लिए प्रभार्य बना दिया गया है, इससे इसको चरित्र नहीं बदला गया है, और यह निर्धारिती के व्यावसायिक मुनाफे में परिवर्तित नहीं किया गया है। यह करदाता तक उसके मुनाफे के रूप में नहीं पहुंचता है, यह उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी के हिस्से के रूप में उस तक पहुंचता है, धारा 10 (2)(VII) दूसरे प्रावधान द्वारा बनाई गई कल्पना के बावजूद, इस कल्पना को प्रस्तुत करने को कारण यह प्रतीत होता है। जहां पिछले वर्षों में मूल्यहास भत्ते से उन वर्षों के लिए कर योग्य आय कम हो जाती है और अंततः परिसंपत्ति बिक्री पर लिखित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करती है, अर्थात् मूल लागत कम होती है मूल्यहास भत्ता राजस्व ने टूट- फूट के विरुद्ध क्षतिपूर्ति में जो अनुमति दी थी उसे वापस लेना उचित है क्योंकि वास्तव में मूल्यहास को परिणाम नहीं हुआ। लेकिन नियम को कारण रसीद के वास्तविक चरित्र को नहीं बदलता है। फिर यह कई वर्षों में संचित मूल्यहास है जिसे उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें संपत्ति बेची जाती है। किसी परिसंपत्ति के लिखित मूल्य और उसकी बिक्री से प्राप्त कीमत के बीच को अंतर निर्धारिती के व्यवसाय के संचालन में अर्जित लाभ नहीं है उस वर्ष में लाभ के रूप में माना जाता है जिसमें परिसंपत्ति बेची जाती है लेने के उद्देश्य से पिछले वर्षों में जो अनुमति दी गई थी उसे वापस करें।"

उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि कर के प्रयोजन के लिए किसी परिसंपत्ति के लिखित मूल्य और उसकी बिक्री से प्राप्त कीमत के बीच को अंतर हालांकि निर्धारिती के व्यवसाय के संचालन में कोई लाभ अर्जित नहीं परन्तु उसे उक्त वर्ष में व्यवसाय लाभ के रूप में माना जाता है। एक बार जब इसे व्यावसायिक लाभ मान

लिया जाता है, तो इसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में मानने और तदनुसार कर लगाने को कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक बार जब यह एक व्यावसायिक लाभ है तो इसके संचय पर कर लगाया जाना चाहिए और यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद के चरण में अतिरिक्त राशि की प्राप्ति पर कर लगाने को कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है उप- धारा (1) और (4) स्पष्ट रूप से राशि की प्राप्ति पर विचार करती है जैसा कि उसमें बताया गया है, उस वर्ष में कर लगाया जाएगा जिसमें यह प्राप्त हुआ है और ऐसी वसूली एक या अधिक बाद के वर्षों में हो सकती है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि "समझे गए लाभ" की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति की बिक्री पर विचार के साथ- साथ उसके लिखित मूल्य दोनों को जानना आवश्यक है और विचाराधीन वर्ष में, प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति को बिक्री मूल्य ज्ञात नहीं है। इसलिए धारा 41 को समग्र मुआवजा लेकर और उसमें से मूल्यहास योग्य संपत्तियों के समग्र लिखित मूल्य को कम करके लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आईटीओ द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि बैलेंसिंग चार्ज की गणना प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में की जानी चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सीआईटी गुजरात बनाम आर्टेक्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी (1997), 6 एससीसी 437=227 आईटीआर 2781 में इस न्यायालय के फैसले को हवाला दिया।

हमारे विचार में वर्तमान अपील में केवल उस सीमित प्रश्न से संबंधित हैं जो उच्च न्यायालय को भेजा गया था, क्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधानों व अधिनियम की धारा 41(2) के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये निर्धारिती द्वारा उसे देय मुआवजे की राशि की रसीदों पर लागू होते हैं? इसलिए अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया अतिरिक्त प्रश्न जो

तथ्यों पर निर्भर करता है को इस अपील में निपटाने या निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारे द्वारा 1976 के यूपी अधिनियम 14 द्वारा संशोधित भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 7ए के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उक्त प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं था। इसके अलावा हम यह स्पष्ट करते हैं कि करदाता इन दलीलों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

विद्वान वकील ने आगे कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने माना है कि संतुलन शुल्क को केवल उसी वर्ष कर के दायरे में लाया जा सकता है जिसमें मुआवजा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अकोला इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त बॉम्बे सिटी (1978) 113 आईटीआर 265 को उल्लेख किया है, उक्त मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि "हालांकि कब्जा लेने से बिजली बोर्ड को बिना कीमत तय किए उपक्रम निहित होता है लेकिन सौदा तब बेचा माना जावेगा जब कीमत तय हो गई और कीमत तय होने के बाद ही यह निर्धारिती के कारण हो गई देय राशि तभी देय हुआ जब उसको तय किया गया" ये टिप्पणियां इस तथ्य को आधार मानकर की गई हैं कि विद्युत अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत संपत्ति बॉम्बे राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अधिग्रहित की गई थी और कब्जा (7 दिसंबर 1959में) सौंप दिया गया था और भुगतान के संबंध में यह बताया गया कि बिक्री मूल्य निर्धारित होने तक बोर्ड कोई भी भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था। हालांकि सहयोग के एक उपाय के रूप में बोर्ड में सभी परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर बही मूल्य को 65 प्रतिशत के बराबर एक अनंतिम भुगतान करने पर सहमत हुआ। अनंतिम भुगतान 7 जून 1961 को चेक के माध्यम से किया गया था। अंततः 31 मार्च 1962 के पत्र द्वारा बिक्री मूल्य आपसी समझौते से तय किया गया था। उस संदर्भ में एक प्रश्न धारा 41(2) के तहत शेष शुल्क की कर योग्यता के संबंध में उच्च

न्यायालय द्वारा निर्धारण वर्ष 1962- 63 में निर्धारित किया गया था। उस मामले में निर्धारिती ने एक तर्क उठाया कि देय धनराशि तब देय हो गई जब निहितीकरण हुआ और बोर्ड उपक्रम और उसकी संपत्तियों को मालिक बन गया। राजस्व के विरुद्ध तर्क दिया गया कि देय राशि उनके निर्धारण के बाद देय हो गया। न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पीसी गुलाटी वोलेंट्री लिक्वीडेटर पानीपर इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बनाम सीआईटी (1972) 86 आईटीआर 56 (दिल्ली)को हवाला देते हुए राजस्व के तर्क को स्वीकार कर लिया और माना गया कि देय राशि तब बकाया होता है जब उसको तय किया जाता है न कि जब संपत्तियों को कब्जे लिया जाता है। सीआईटी दिल्ली- II बनाम रोहेतुक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड (1982) 138 आईटीआर 195 (दिल्ली) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को माना।

सीआईटी कर्नाटक बनाम शेषप्पा हेगड़े (1984) 150 आईटीआर 164 ए कर्नाटक में निर्धारिती ने 1973 और 1975 में दो मोटर वाहन खरीदे थे। उन्हें सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (अधिग्रहण) अधिनियम 1976 के तहत अधिग्रहित किया गया था जो 30 जनवरी 1976 को लागू हुआ और उसी दिन गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। आकलन वर्ष 1976- 77 के लिए निर्धारिती ने नुकसान को दावा करते हुए एक संशोधित रिटर्न दाखिल किया जिसमें सरकार द्वारा अधिग्रहित वाहन की लागत भी शामिल थी। न्यायालय ने माना कि धारा 41(2) के तहत कर योग्यता को वर्ष प्राप्ति को वर्ष है या वह वर्ष है जिसमें यह बकाया हो जाता है।

निर्धारिती के विद्वान वकील ने आगे ओकोरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी (1985) 154 आईटीआर 493 के फैसले को हवाला दिया। उस मामले में भी न्यायालय ने पीसी गुलाटी और अकोला विद्युत आपूर्ति कंपनी (सुप्रा) मामले को

अनुसरण किया। न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि 4 जनवरी 1959 को सरकार ने उपक्रम की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। दिनांक 3 जून 1959 को उस संबंध में निर्धारिती को 60, 000 रुपये को कुल भुगतान किया गया था। अर्जित संपत्ति के मूल्यांकन के बारे में विवाद था और अंततः ज्ञापन दिनांक द्वारा 18 नवंबर 1963 को संपत्ति को पुनर्मूल्यांकन 2,02,781 रुपये किया गया था लेकिन अंततः इसको मूल्यांकन लेखांकन वर्ष 1966- 67 में यानी 1 अप्रैल 1965 और 26 अक्टूबर 1965 के बीच निर्धारित किया गया था। उस तथ्य के प्रकोश में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राशि के निर्धारण पर शेष शुल्क निर्धारण वर्ष 1966- 67 में शामिल किया जाएगा। सीआईटी बनाम द सेंट्रल इंडियन इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड (1993) 114 सीटीआर (एमपी) 160 में एमपी इलेक्ट्रिक बोर्ड द्वारा उपक्रम को अपने अधीन कर लिया गया। निर्धारिती अपने अधिग्रहण या खरीदे गए उपक्रम के बाजार मूल्य को हकदार था। विचाराधीन लेखांकन वर्ष यानी 1970- 71 के लिए निर्धारिती ने अपनी आय शून्य दिखाते हुए एक रिटर्न प्रस्तुत किया हालांकि इसके साथ ही वापसी में उसने एक बैलेंस- शीट संलग्न की थी जिसमें बोर्ड द्वारा अर्जित की गई उसकी परिसंपत्तियों को लिखित मूल्य दिखाया गया था और साथ ही बोर्ड से वास्तव में प्राप्त मुआवजा भी दिखाया गया था। राजस्व ने तर्क दिया कि राशि भुगतान के लिए तभी देय हुई थी जब अवार्ड के रूप में डिक्री जिला न्यायाधीश द्वारा पारित की गई थी और इसे संबंधित वर्ष में पारित किया गया था यह निर्धारिती को होने वाली आय को मामला था और इसे कर की गणना हेतु उसी वर्ष में लाया जा सकता था। न्यायालय ने माना कि दो अभिव्यक्तियों "देय" और "बकाया" में केवल डिग्री और समय को अंतर है। अधिनियम के तहत अधिग्रहण या बिक्री की तारीख पर पैसा तुरंत देय होता है लेकिन कीमत के बारे में कोई विवाद होने पर इसे भविष्य की किसी तारीख पर भुगतान करना

पड़ता है। कीमत के बारे में विवाद की स्थिति में कीमत की मात्रा को निर्धारण केवल मध्यस्थ के फैसले के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि-

".....डिक्री पारित होने की तारीख पर निर्धारिती को भुगतान के लिए देय कीमत उस वित्तीय वर्ष के प्रासंगिक आगामी मूल्यांकन वर्ष में कर योग्य थी जिसमें डिक्री पारित की गई थी भले ही डिक्री के तहत राशि करदाता द्वारा वास्तव में प्राप्त नहीं की गयी है। आईटी अधिनियम की योजना में कर योग्य घटना "आय के उपार्जन" पर है न कि उसकी वास्तविक प्राप्ति पर। देय राशि या मूल्य के संबंध में मुकदमेबाजी की अब तक कोई प्रासंगिकता नहीं है जैसा कि ऐसी अर्जित आय की कर योग्यता को संबंध है। मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप अगले मूल्यांकन वर्ष में आय कम होने की संभावना के लिये निर्धारिती कर के सुधार और वापसी के लिए अधिनियम में उपलब्ध अन्य उपायों को सहारा ले सकती है। लेकिन इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती को कोई आय अर्जित नहीं हुई थी। हमें केसोराम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम सीडब्ल्यूटी (1966) 59 आईटीआर 767 एससी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे फैसले के लिए बहेतु बड़ा समर्थन मिलता है। जहां तक संपत्ति कर की बात है तो आयकर की भी। आयकर को भुगतान करने को दायित्व संबंधित वित्तीय वर्ष में उस वर्ष आय अर्जित होने पर उत्पन्न होता है और यदि आय सुनिश्चित और मात्राबद्ध है तो इसे संबंधित मूल्यांकन वर्ष में कर के दायरे में लाया जा सकता है।"

हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि देय राशि या कीमत के संबंध में मुकदमे के लंबित रहने की कोई प्रासंगिकता नहीं है जहां तक ऐसी अर्जित आय की कर देयता को संबंध है। मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप अगले मूल्यांकन वर्ष में आय कम होने की संभावना के लिये कर के सुधार और रिफंड के लिए अधिनियम में उपलब्ध अन्य उपायों को सहारा लिया जा सकता है लेकिन उस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि कोई आय नहीं हुयी थी।

सीआईटी बनाम नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाइ एण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1996) में 222 आईटीआर 60, दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी 1949 को उपक्रम खरीदा और मुआवजे को भुगतान वर्ष 1949- 50 और 1951- 52 में किया गया। उपक्रम ने अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। मामले में समझौता हो गया और 29 अक्टूबर 1968 को अतिरिक्त राशि को भुगतान किया गया। ओकोरा इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड और पीसी गुलाटी (सुप्रा) में निर्णय के अनुसार न्यायालय ने माना कि संतुलन शुल्क को शामिल करने को वर्ष वह होगा जब देय राशि बकाया हो जाएगा और देय धन तभी देय माना जा सकता है जब वह तय किया गया।

उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए उपरोक्त सभी मामलों से यह स्पष्ट है कि यह निर्धारिती को तर्क था कि संतुलन शुल्क होना चाहिए उस वर्ष पर कर लगाया जाता है जिसमें उपक्रम को अधिग्रहण किया जाता है, इसके विपरीत राजस्व ने तर्क दिया कि जब मुआवजा राशि निर्धारित की जाती है बैलेंसिंग चार्ज पर टैक्स लगेगा वर्तमान मामले में मुआवजे की राशि निर्धारित कर भुगतान किया जा चुको है। चूंकि बाजार मूल्य के निर्धारण को लेकर विवाद है इसलिये मामले को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है। यह मानते हुए कि यह इस अर्थ में तदर्थ भुगतान है कि अंतिम मुआवजा मध्यस्थ या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी भुगतान खरीद

मूल्य की ओर है। धारा 41(2) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि ऐसा संतुलन शुल्क कर योग्य होगा जिसमें "देय राशि" मध्यस्थों या अपीलीय प्राधिकारी या अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रदान किए गए ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा "अंततः" निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा यह निर्धारिती को मामला नहीं है कि खरीद मूल्य के अंतिम निर्धारण तक उसने उक्त राशि स्वीकार नहीं की है। "देय धन" के संबंध में अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए मुकदमे के लंबित होने की कोई प्रासंगिकता नहीं है, जहां तक अर्जित आय मुआवजा की कर योग्यता को संबंध है। इसलिए ऐसे मामले में जहां मुआवजे की राशि और उसकी रसीद को स्वीकार किया जाता है, जो कि धारा 41(2) के तहत व्यावसायिक लाभ है इसकी प्राप्ति के पिछले वर्ष में कर लगाया जाना है। परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया गया। संदर्भित प्रश्न को उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध दिया गया है और यह माना गया है कि प्राधिकरण ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 41(2) के तहत 1, 29, 35, 557 रुपये की अतिरिक्त राशि को निर्धारण वर्ष 1965- 66 में कर न मानना उचित नहीं था। तदनुसार आदेश दिया गया। पक्षकोरान अपनी- अपनी लागत वहन करेंगे।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता परमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।